न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. रोशन पिता निम्मतलाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रदीप पिता निम्मतलाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. योगेश पिता खूबीलाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सुदर्शन पिता दीपलाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. जगन्नाथ पिता रेवाशंकर जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मातेश्वरी इन्द्राणी कान्ट्रेक्टर प्रा.लि. जरिये निदेशक विरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जी झाला, निवासी तलावदा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. श्रीमती हीरा देवी पत्नी हेमराज जी कलाल, निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. कन्हैयालाल पिता धूलजी कलाल, निवासी धरती, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. देवेन्द्र पिता हेमराज जी बरदार (कलाल), निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. हेमराज पिता कन्हैयालाल जी बरदार (कलाल), निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. शंकरलाल पिता कन्हैयालाल जी बरदार (कलाल), निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती दली देवी पत्नी अमरचन्द जी कलाल, निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. अमरचन्द पिता भेरजी जी कलाल, निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती भूरी देवी पत्नी शंकरलाल जी बरदार (कलाल), निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती अमरती बाई पत्नी कन्हैयाल [illegible] कलाल), निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:37:58 IST
Reason: SelfAttested

12. श्रीमती भूरी देवी पत्नी प्रेमचन्द जी वागदिया, निवासी भोराई, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

13. प्रेमचन्द पिता डूंगर जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

13/1. सुगना पिता प्रेमचन्द जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13/2. भगवती पिता प्रेमचन्द जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13/3. सीमा पिता प्रेमचन्द जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13/4. कुसुम पिता प्रेमचन्द जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13/5. भूरी बाई पत्नी प्रेमचन्द जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13/6. जितेश कुमार पिता प्रेमचन्द जी वागडिया, निवासी पुरोहितान की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

15. रमेश पिता अमरचन्द जी बरदार (कलाल), निवासी मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

16. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 22.02.2017, प्र.सं. 98/15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री राजमल राव अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 3 से 13 व 15
4. श्री नरपतसिंह चुण्डात अभिभाषक न.वि.प्र. रेस्पो. सं. 16

———/———

निर्णय **दिनांक 28–12–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर नि[illegible]या कि मौजा शहर तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1016 रकबा 0.3400 हैक्टर, आराजी नंबर 1017 रकबा 0.0200 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:37:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 1018 रकबा 0.3800 हैक्टर, आराजी नंबर 1020 रकबा 0.0700 हैक्टर, आराजी नंबर 1367 रकबा 0.0650 हैक्टर, आराजी नंबर 1378 रकबा 0.0450 हैक्टर, आराजी नंबर 1277 रकबा 0.2600 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण की पैत्रृक सम्पत्ति होकर वादीगण का जन्म से अधिकार है एवं वादीगण कानूनी खातेदार होकर मालिक काबिज हैं। वादीगण का सजरा वादपत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर प्रतिवादी संख्या 1 जगन्नाथ जी के पुत्र एवं पौत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैत्रृक सम्पत्ति को बिना वादीगण की सहमति के नुमाईशी विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 से 15 के पक्ष में कर दिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में कुछ जमीन नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गयी है इसलिए उसे भी पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 को 1/12, 1/12 हिस्से का एवं वादी संख्या 3 को 1/8 एवं वादी संख्या 4 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 से 10, 12 व 14 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 1016 रकबा 0.3400 हैक्टर, आराजी नंबर 1017 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 1018 रकबा 0.3800 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1020 रकबा 0.0700 हैक्टर प्रतिवादी द्वारा क्रय की जाकर नियमानुसार रूपान्तरण पट्टे इत्यादि के लिए भूमि नगर विकास प्रन्यास को समर्पित कर दी गयी थी, जिस पर नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिनांक 12.07.2002 को 90–बी की कार्यवाही की जाकर भूमि के विधिवत पट्टे प्राप्त कर लिये हैं। अतः उक्त आराजियात बाबत् श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से वाद खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्पूर्ण जमीन के खातेदारी अधिकार सरेण्डर नहीं किये हैं इसलिए खातेदारी अधिकारों की घोषणा मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। अतः उक्त आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–02–2017 से प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:37:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 13 व 15 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 नगर विकास प्रन्यास की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 का अंकन संशोधित टाईल में नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि विवादित कुलिया भूमि की धारा 90–बी की कार्यवाही नहीं हुई है। आराजी नंबर 1367, 1378 व 1277 के सम्बन्ध में कभी भी 90–बी की कार्यवाही नहीं हुई है, न ही खातेदारी अधिकार ही सरेण्डर किये गये हैं तथा दावा पेश करने के दिन जमाबन्दी में नगर विकास प्रन्यास का नाम दर्ज नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय को ज्यूरिसडिक्शन के बिन्दु को इस स्टेज पर तय करने का अधिकार नहीं है एवं अधिनस्थ न्यायालय का सारा आदेश कयासी आधारों पर है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता ने भी वकील रेस्पोन्डेन्ट की बहस का समर्थन करते हुए बताया कि वर्तमान में विवादित आराजियात नगर विकास प्रन्यास के खाते में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का कथन है कि आराजी नंबर 1367, 1378 व 1277 के सम्बन्ध में कभी भी 90–बी की कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार वाद वर्णित सभी आराजियात, जिसमें उक्त आराजियात भी सम्मिलित है, पुर्नग्रहण के आदेश जारी होकर आराजियात नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात कृषि भूमियां नहीं होकर आवासीय भूमिंया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में विवादित भूमियों को आवासीय भूमि मानते हुए सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानते हुए इस आधार पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:37:58 IST
Reason: SelfAttested

7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.01.19 12:37:58 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

रोशन पिता निम्मतलाल जी मेनारिया निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **जगन्नाथ पिता रेवाशंकर जी मेनारिया निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....22**.....माह.....**02**.....**2017**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**.....माह.....**12**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हर्षद जोशी .....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**12**.....**2020** को जारी किया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:37:58 IST
Reason: SelfAttested